दिया कुमारी ने विद्याधर नगर लोहामण्डी में उच्च जलाशय का शिलान्यास किया

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा के लोहा मण्डी में 8 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले उच्च जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

■ विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नम्बर 3 पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत विद्याधर नगर विधानसभा के लोहा मण्डी में 8 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से बनने वाले उच्च जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 80 लाख 75 हजार की निर्माण लागत के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं.15 में वॉलीबॉल कोर्ट का शिलान्यास व विभिन्न लोकार्पण शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस 17 लाख 50 हजार लीटर क्षमता वाली टंकी के निर्माण के बाद आने वाले समय में क्षेत्र के वार्ड नम्बर 2 के सुभाष नगर, बालाजी विहार, गणेश नगर, अरावली विहार, भगवान नगर, विलोची नगर, अमन एन्क्लेव और आस-पास के क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का समाधान होगा।

दिया कुमारी ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं. 15 में देवधारा कॉलोनी में 21 लाख की लागत का सी.सी. सड़क कार्य, शंकर विहार व विकास नगर में 36 लाख की लागत का सी. सी. सड़क कार्य, देव नगर में 19 लाख की लागत का सी.सी. सड़क निर्माण कार्य, रामेश्वर धाम में 30 लाख 75 हजार की लागत का सी. सी. सड़क एवं ब्लॉक टाईल्स कार्य, आर्य नगर विस्तार एवं बालाजी विहार में 18 लाख की लागत का ब्लॉक टाईल्स कार्य, गंगा जमुना विहार एवं शिवपुरी में 16 लाख की लागत का ब्लॉक टाईल्स कार्य, विकास नगर विस्तार में 20 लाख की लागत का डामर सड़क निर्माण कार्य सहित कुल 1 करोड़ 60 लाख 75 हजार के कार्यों के लोकार्पण किये। इसी प्रकार उन्होंने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नं. 15 में दादी का फाटक आर.ओ.बी. के नीचे 20 लाख की लागत से वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

वहीं दूसरी ओर दिया कुमारी ने विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथ कुंज कॉलोनी, अनोखा गांव, हरमाड़ा में वार्ड संख्या 3 के पार्षद हरिशंकर बोहरा के नवनिर्मित पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण और क्षेत्र के विकास में पार्षद कार्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है जहां आमजन स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को लेकर जाता है। ऐसे में यह पार्षद कार्यालय क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, पार्षद हरिशंकर बोहरा, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, वार्ड 103 पार्षद महेंद्र शर्मा, सुनीता राठौड़, सुरेश जांगिड़, सुनील करोड़िया, विजय शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता और वार्डवासी उपस्थित रहें।

'मतदान बहुत बड़ी ताकत'

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शामिल हुए।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मतदान में इतनी ताकत है कि इससे छोटे को बड़ा किया जा सकता है और बहुत बड़े को भी छोटा किया जा सकता है। उन्होंने बगैर लालच के निर्भीक होकर मतदान में सभी को भाग लेने का आव्हान किया।

बागडे शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी को निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय मूल की संस्कृति, आचार पद्धित विश्व भर में प्रेरणा देने वाली रही है। इस संस्कृति के कारण ही लोकशाही हमारे यहां आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि आजादी मिलने पर चर्चिल ने कहा था कि भारत अज्ञानी देश है, यहां लोकतंत्र पनप नहीं सकेगा। पर यह हमारी मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कृति ही है, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। उन्होंने नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और मतदान में भागीदार बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने सभी को मतदान करने, मतदान सूचियों की त्रुटियां दूर करने में सहयोग करने और एक मतदाता का दो या तीन स्थानों पर नाम होने पर स्वयं प्रेरित होकर उसे एक ही स्थान पर सूची में नाम रखने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि "मतदाता दिवस" की सार्थकता इसमें है कि सामूहिक प्रयासों से अधिकाधिक मतदान हो। मतदान से कोई वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदान के प्रति जागरूक ही नहीं करता बल्कि वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करने से जुड़ा प्रेरक पर्व है। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करने का आव्हान किया। राज्यपाल ने समारोह में मतदान जागरूकता के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। आरंभ में उन्होंने मतदान जागरूकता के आलोक में निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर मतदान और लोकतंत्र से संबंधित पेंटिंग्स की सराहना की। उन्होंने नवीन युवा मतदाताओं को इस अवसर पर सम्मानित किया।

भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार का संदेश भी इस दौरान प्रसारित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। जल्द ही देश सौ करोड़ मतदाता वाला राष्ट्र हो जाएगा। यह कई देशों के संयुक्त मतदाता संख्या से भी अधिक है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने मतदान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का आव्हान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदान के महत्व की चर्चा करते हुए राजस्थान में मतदान के किए किए गए नवाचारों और मतदान दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वीराज भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी ने सभी का आभार जताया।

समारोह में आदिवासी कलाकारों द्वारा "वोट तुम डारो रसिया, लोकतंत्र की सुनो पुकार मत खोना अपना अधिकार" पर नृत्य और संगीत प्रस्तुत दी।

मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे शिरकत

जयपुर। मुख्यमंत्री उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रातः 9.30 बजे शामिल होंगे। इससे पहले वे प्रातः 9 बजे उदयपुर में शहीद स्मारक (नगर निगम) पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

जितेन्द्र कुमार सोनी को जयपुर संभागीय आयुक्त का अति.प्रभार

जयपुर। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर दो कलेक्टरों को संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

आदेशानुसार जयपुर कलेक्टर जितेन्द्र डॉ.कुमार सोनी को जयपुर संभाग का और भरतपुर कलेक्टर डॉ. अमित यादव को भरतपुर संभाग का संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

प्रबोधकों के नियम विरुद्ध किए तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार जैन व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबोधक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के तहत हुई थी। ऐसे में उनका ट्रांसफर समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है। वहीं ट्रांसफर से पहले जिला परिषद की जिला स्थापना समिति से अनुमोदन लेना भी जरूरी है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सेवा नियमों का पालन किए बिना ही उनका ट्रांसफर किया है और जिला स्थापना समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया। यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की भी अवहेलना है। इसलिए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

गणतन्त्र दिवस पर देवनानी की शुभकामनाएं

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 76वें गणतन्त्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। देवनानी ने कहा है कि गणतन्त्र दिवस पर हम सभी को राष्ट्रके विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा।

देवनानी ने कहा है कि भारत की आत्मा भारतीय संविधान है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और जागरूकता बढाने के लिए राजस्थान विधान सभा में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं को भारत और भारत की सांस्कृतिक नैतिकता से परिचित कराना है।

डिफेक्टिव स्लीपर बेचने पर वुडलैंड पर 45 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक को डिफेक्टिव स्लीपर बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं विक्रेता एरो क्लब यानि वुडलैंड इंडिया पर 45 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही परिवादिया से स्लीपर की कीमत के तौर पर वसूली गई 1836 रुपए की राशि भी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश सुनीता कुमावत के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी के यहां से स्लीपर की एक जोडी खरीदी थी। इसके एक महीने बाद ही स्लीपर में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। स्लीपर का कलर उतर गया और वह जगह-जगह से फट गया। वह किसी भी तरह से पहनने लायक नहीं रही। इस पर उसने विपक्षी से संपर्क कर बताया कि उन्होंने इस पर 90 दिन की गारंटी दी थी लेकिन यह एक महीने में ही खराब हो गई है। जिस पर उसे नवंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में आने के लिए कहा। वह वापस गई तो विपक्षी टालमटोल करने लगा। ऐसे में उसकी स्लीपर ना तो बदली और ना ही उसकी कीमत ही वापस की।

कांग्रेस ने एक परिवार को खुश करने के लिए तो भाजपा ने जनहित में किए संविधान संशोधन : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक ओर भाजपा है जिसने सदैव जनमत का सम्मान और लोकतंत्र का आदर किया। भाजपा ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इतना ही नहीं, भाजपा ने संशोधन किया तो सीएए कानून पारित किया, भाजपा ने संविधान संशोधन किया तो हमारी बहनों को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए किया। जबकि कांग्रेस ने सर्वाधिक 75 बार संविधान में संशोधन करके केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया तथा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया।

■ 'भाजपा ने अखंड भारत और जनमत के सम्मान में किए संविधान संशोधन, कश्मीर से हटाई धारा 370, तीन तलाक को किया समाप्त'

भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी का प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उद्घाटन किया।

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश करने के साथ ही संविधान को प्रणाम किया। संविधान का सम्मान और संविधान निर्माताओं का सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भाजपा सर्वे भवंतु सुखिने की भावना के साथ काम करती है, जबकि कांग्रेस एक परिवार को खुश करने की नीति पर कार्य करती है। कांग्रेस दबाव डालकर, अफवाह फैलाकर भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। ऐसे में संविधान और बाबा साहब के लिए भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को हमें जनता तक पहुंचाना है। जनता को जागरूक करना है कि कांग्रेस ने सदैव संविधान और बाबा साहब का अपमान करने का कार्य किया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस तो आरक्षण तक के विरोध में है। जबकि भाजपा ने पंचायती राज और नगरीय निकायों में एसटी-एससी वर्ग को आरक्षण देने का कार्य किया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को कांग्रेसियों ने देश के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केवल वोट बैंक और एक वर्ग के समर्थन के लिए मिथ्या भ्रम फैलाने की राजनीतिक प्रयास किया। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 1971 में मौलिक अधिकारों के साथ छेडछाड़ करने का प्रयास किया। हमारे देश की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्ला देश से आने वाले घुसपैठियों को शरण देने जैसे बयान के बाद भी उस निर्वाचित सरकार को बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करती है।

संगोष्ठी में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि संविधान निर्माता सदस्यों में हमारी 15 बहनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, हमारे राजस्थान से भी 12 गणमान्य लोगों ने संविधान निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में हम उन सभी लोगों के आभारी है जिसने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माण किया। संविधान गौरव अभियान के प्रदेश संयोजक एवं धोद विधायक गोरधन वर्मा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि कांग्रेस मिथ्या नेरेटिव सेट करने का कार्य करती है। इस मिथ्या नेरेटिव को दूर करने के लिए भाजपा की ओर से संविधान गौरव अभियान चलाया गया। कांग्रेस ने एसटी-एससी वर्ग को भाजपा से दूर करने का प्रयास किया लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है जिसमें इस वर्ग से सर्वाधिक विधायक, सांसद, मंत्री बनाए है। कार्यक्रम में मंच पर विधायक कैलाश वर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी, चंद्रमोहन बटवाडा, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, उप महापौर पुनित कर्नावट, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, तेज सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और मंच संचालन भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया।

रिटायर नायब तहसीलदारों से वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर नायब तहसीलदारों व गिरदावरों के खिलाफ निकाली गई राशि की वसूली पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रमुख राजस्व सचिव, पेंशन निदेशक सहित तहसीलदार सपोटरा से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश नूरुद्दीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले की सपोटरा तहसील में गिरदावर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें बाद में कार्य व्यवस्था के तौर पर नायब तहसीलदार पद की जिम्मेदारी दी। वे अपना कार्य नियमित तौर पर करते रहे। इस दौरान दो से चार साल पहले वे अपने पदों से रिटायर हो गए। वहीं तहसीलदार सपोटरा ने नवंबर 2024 में उन्हें बिना कोई नोटिस व सुनवाई का मौका दिए उनके सेवाकाल में रहने के दौरान के यात्रा भत्ता बिलों को अनियमित भुगतान माना।

वहीं उन्हें इस राशि की वसूली का आदेश जारी कर दिया। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वसूली आदेश से पहले उनसे ना तो कोई स्पष्टीकरण मांगा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि यह राशि कौन से समय की है। वहीं राज्य सरकार ने समय-समय पर परिपत्र जारी कर रखे हैं कि रिटायर कर्मचारियों से तीन साल पहले के मामलों में कोई जांच कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए उनसे होने वाली राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरा मकान सं.114/321, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल नियमितिकरण लैटर व समस्त दस्तावेज कन्वेंश डीड व परपिच्युल डीड आदि कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें। शान्ती देवी, मो.-9950603591

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम चन्द्रकान्त परेवा से बदलकर चन्दन परेवा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। ग्राम- गिदानी, तहसील दूदू, जिला जयपुर (राज.)

मैं, अभिनव सिंह पुत्र भगवान सहाय बैरवा, पताः बैरवा की ढाणी, दयालपुरा, जयपुर, 303905 ने 1 अप्रैल 2021 को प्रकाशित साधारण राजपत्र के माध्यम से अपना नाम शत्रुघ्न बैरवा से बदलकर अभिनव सिंह कर लिया है।

I Priyal Jogani S/o Naresh kumar Jogani R/o C1-504 Samarth Enclave VIP Road Vesu Surat City, Gujarat 395007. Have changed my name from Jogani Priyal Naresh to Priyal Jogani for all future purposes.

I priti khatana D/O Shankar Lal R/O village post samaspur tehsil mahwa district Dausa that in my education documents my father name Shanker Lal is wrong entered but correct name is Shankar Lal gurjar. in future my father name called as SHANKAR LAL GURJAR for all purposes.

I, UMMED KANWAR legally wedded spouse of Army No JC-236710M Ex- Risaldar Laxmi Narayan Singh Rao, R/O E-3 Jai Jawan Apartment, Sector-1, Vidhyadhar Nagar Jaipur have my name as UMED KUNWER (DOB 9/9/1958), which is wrongly entered in service record of my husband and the correct details are - UMMED KANWAR (DOB 25/12/1961) as per vide affidavit dated 23 Jan 2025 before district Notary Jaipur.

सार्वजनिक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/2025/डी-209 दि. 24.01.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी स्व. श्री महेश कु. शर्मा द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा शपथ पत्र, रजि. हकत्याग पत्र एवं रजि. उपहार पत्र के आधार पर सुभाष सिंधी गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर- 22 के भूखण्ड संख्या 9-ए क्षेत्रफल 194.44 व.ग. का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है। जविप्रा द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 06.02.2003 को श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री नानगराम शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा योजना स्कीम नम्बर- 22 के भूखण्ड संख्या 9-ए का नाम हस्तान्तरण श्रीमती पुष्पा शर्मा के पक्ष में जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मयाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्दन शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी फ्लैट नम्बर 103, करतार शान्ति विला, बनीपार्क, जयपुर द्वारा मकान नम्बर 352 चौकडी पुरानी बस्ती नाहरगढ रोड, गली जगन्नाथ जी, जयपुर जिसका कुलक्षेत्र 11.55 वर्गगज अर्थात 9.66 वर्गमीटर में अविभाजित हिस्सा 1/2 स्थित है को उसके वर्तमान स्वामी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री मदन सिंह से विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अन्दर अधोलिखित कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
दिनांक-24/01/25 गौरव स्वामी (एडवोकेट)
जयपुर मो.-7976169305

संख्यांक 2
विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, स्थान बस्सी
पप्पू वगैरा विरुद्ध गोपाल वगैरा
वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 136 सन् 2013
प्रतिवादी संख्या 12 द्वारका पुत्र स्व. सूज्या जाति माली
प्रतिवादी संख्या 13 काना पुत्र स्व. सूज्या जाति माली
प्रतिवादी संख्या 18 जगदीश पुत्र रेवड जाति माली
प्रतिवादी संख्या 28 फूलीदेवी बैवा जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 29 भागचन्द पुत्र जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 30 लोकैश पुत्र जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 31 मुकेश पुत्र जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 32 राहुल पुत्र जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 34 ज्ञानी पुत्री जगदीश जाति माली
प्रतिवादी संख्या 44 दुर्गा पुत्र कल्याण जाति माली
प्रतिवादी संख्या 49 रामबाबू पुत्र सौहन जाति माली प्रतिवादी संख्या 51 नौरती बेवा कल्याण जाति माली प्रतिवादी संख्या 52 राकेश पुत्र कल्याण जाति माली
प्रतिवादी संख्या 53 चन्द्रकान्ता पुत्री कल्याण जाति माली
प्रतिवादी संख्या 54/1 ग्यारसी पत्नि लल्लूराम जाति माली
प्रतिवादी संख्या 54/2 प्रेमचन्द पुत्र लल्लूराम जाति माली
स्थान : ग्राम बस्सी ढाणी ढोल्या की बाड्या, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ने आपके विरूद्ध घोषणा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 02 सन् 2025 को दिन में 10 ए. एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद सै सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे।
आपको सूचित किया जाता है कि उमर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुप स्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 19 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
मोहर अदालत
न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

आम सूचना सभी आम लोगों को सूचित किया जाता है कि हम जमीलुल इस्लाम व पत्नी फरजाना परवीन, निवासी- 5316, रैगरों की कोठी, जयपुर के है। मेरी पुत्रवधु निमरा हसन का व्यवहार मेरे व परिजनों के प्रति क्रूरता व लड़ाई-झगड़े व खुद को जान से मारने की धमकी देने व मेरे परिवार को झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने के कारण हम सभी घरवालों का जीना दुर्भर हो गया है। इसलिए हम दोनों अपनी चल व अचल सम्पत्ति से पुत्र शाहनवाज खान व पुत्रवधु को बेदखल करते है। यदि यह किसी भी प्रकार की किसी को हानि पहुंचाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी व मेरी पत्नी की नहीं होगी।
जमीलुल इस्लाम, फरजाना परवीन
मो.-6377150720

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: D-126 सार्वजनिक सूचना दिनांक: 24.01.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नागरिक सेवा केन्द्र के पंजीयन नम्बर 199798 से आवेदक श्री विपुल अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल ने जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड पश्चात एक से अधिक बेचान के आधार पर जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ-150, क्षेत्रफल: 222.08 व.ग. का नाम हस्तांतरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ-150, क्षेत्रफल: 222.08 व.ग. का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 24.12.2008 को श्रीमती डॉ. चन्द्र किरण पुत्री श्री चन्दूमल पत्नि डॉ. टी.के. खुबलानी के नाम से जारी किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर जविप्रा की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ-150, क्षेत्रफल: 222.08 व.ग. का नाम हस्तांतरण पत्र जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ कम्पनी एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना जारी दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने हक स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-07, जेडीए के कार्यालय में पेश कर सकते हैं।
यह सूचना आज दिनांक 24.01.2025 को जारी की गई है।
उपायुक्त जोन-07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय श्रीमान ADJ-10 सांगानेर जयपुर
स्थान प्रथम
हेमलता विरूद्ध नवीन
वाद/प्रार्थना पत्र S-13 HMA
प्रार्थना-पत्र संख्या 337 सन् 2024
नाम नवीन सिंह कटारिया पुत्र श्री सत्यवीर सिंह कटारिया जाति.... पता नि.- एस.आई.एस.स्कूल मानसरोवर जयपुर (राज.)
उक्त प्रार्थिया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि..........
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.3 माह 3 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक यप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 24 माह 1 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-10 जयपुर महानगर-प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner), Bhusawar (Weir) Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. : F.( )/Dean-COAB/2025/856-61 Dated :- 21/01/2025
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding Furniture are invited from interested bidders up to 11 A.M., 30.01.2025. other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the state or **www.sknau.ac.in** University website.
NIB code SKN2425A0315 and UBN is SKN2425GSOB00317
Raj.Samwad/C/24/10811 DEAN

DEPARTMENT OF PHYSICS
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR-313001
Email: physics@mlsu.ac.in Website: www.mlsu.ac.in
No.-PHY/CS/FIST/E-Tender/2025/68 Date-24/01/2025
CORRIGENDUM
In reference to "Supply of Accessories for UV-Vis- NIR & Fluorescence Spectrophotometer' vide tender No. PHY/CS/FIST/E-tender/2025/67 dated 22-01-2025, "project of RUSA 2.0" should be read as "project of DST-FIST" in the bid documents as well as in the notice inviting E-bid in newspapers
NIB CODE- SUU2425A0096 UBN No- SUU2425GLOB00137
Head, Department of Physics

योजना का शुभारंभ 27-01-2025 | **रिचवैल एन्टरप्राईजेज प्रा. लि.** जी-1, वेस्टर्न हाईट्स, एस-21, श्याम नगर, जयपुर। | आवेदन की अन्तिम तिथि 12-02-2025

योजना का नाम : "वर्धमान एंप्रेस"
मैसर्स रिचवैल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वंदेमातरम रोड, मानसरोवर, जयपुर पर विकसित की जा रही परियोजना "वर्धमान एंप्रेस" के 5% BAR के एवज में स्प्लिट लोकेशन पर "एंपायर एस्टेट" महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए फ्लैट्स आवंटन की लॉटरी की सूचना :-

क्र. सं.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी		अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी							
1.	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2022/2147									
2.	योजना में फ्लैट्स की संख्या	201 फ्लैट्स (EWS)		313 फ्लैट्स (LIG)							
3.	योजना में फ्लैट्स का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में)	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
		446.32	464.72	737.81	744.59	790.64	827.34	869.84	881.24	897.38	906.10
				9	10	11	12	13	14	15	
				926.33	928.70	936.77	1038.66	1044.58	1058.57	1094.83	
4.	आवंटन दर	2121 रूपये (प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर) (आवंटन दर में 50/- प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय (ULB Charges), 50/- प्रति वर्गफीट संधारण मद (Maintenance Corpus) तथा 75/- प्रति वर्गफीट लिफ्ट चार्जेज के सम्मिलित हैं)									
5.	आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन	दिनांक 13.02.2025									
6.	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की अवधि	दिनांक 14.02.2025 से 16.02.2025									
7.	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता :	रिचवैल एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जी-1, वेस्टर्न हाईट्स, एस-21, श्याम नगर, जयपुर . 302019									
8.	निर्माणकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	एम्पायर एस्टेट रियलटी : खसरा नं. 1036/1, 1037/1, 1074/2, 1071/1, 1073, ग्राम महापुरा, जयपुर-302033 (राजस्थान)									
9.	पात्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 18.02.2025, समय : सुबह 11:30 बजे, स्थान : एम्पायर एस्टेट साईट कार्यालय, पता : खसरा नं. 1036/1, 1037/1, 1074/2, 1071/1, 1073, ग्राम महापुरा, जयपुर-302033 (राजस्थान)									

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तें इत्यादि साईट आफिस या मुख्य कार्यालय पर देखी जा सकती है।। नोटः आवेदनकर्ता आवेदन से संबंधित दस्तावेजों को रिचवेल एन्टरप्राईजेज के कार्यालय में जमा करावें।
विकासकर्ता के हस्ताक्षर